05/3/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 के नोटिस पर, नोटिस लेने इनकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे विपक्षी संख्या 2 की तामिल मानी जाती है, आज उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन कर, बहस उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act एवं विपक्षी संख्या 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती स्थित प्रार्थिया पुष्पादेवी जोशी की खातेदारी की आराजी संख्या 2574/138 रकबा 0.18 हे० एवं विपक्षी संख्या 3 हीरादास की खातेदारी की आराजी संख्या 2575/138 रकबा 0.18 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क 1000.00 रू० अक्षरे एक हजार रुपए जिसमे से 500.00 रू० प्रार्थिया एवं 500.00 रू० विपक्षी संख्या 3 वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2019/00370

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.17 18:03:31 IST
Reason: SelfAttested